राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 128 / 2025

निर्णय दिनांक : 06.02.2026

दायर दिनांक – 04.07.2025

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मुरडाकिया में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 82 के खसरा संख्या 271 तादादी 3.2497 है0, खसरा नम्बर 90 तादादी 1.1633 है0 प्रार्थी एवं उसके परिवार की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की माता का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में देवी पत्नी रूपाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी की माता का सही नाम नाथीदेवी पत्नी· रूपाराम है। अन्य दस्तावेज यथा मृत्यू प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी की माता का सही नाम नाथीदेवी अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपनी माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित करवाने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में नाम दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की माता का सही नाम नाथीदेवी पत्नी भंवरलाल है जबकि जमाबन्दी में देवी पत्नी रूपाराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में देवी पत्नी रूपाराम की बजाय नाथीदेवी पत्नी भंवरलाल दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज शपथ पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी की माता का नाम नाथीदेवी पत्नी भंवरलाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 82 के खसरा संख्या 271 तादादी 3.2497 है0, खसरा नम्बर 90 तादादी, 1.1633 है0 में दर्ज खातेदार का नाम देवी पत्नी रूपाराम के स्थान पर नाथीदेवी पत्नी भंवरलाल दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़